न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 42/2025

महावीरप्रसाद पुत्र धनाराम जाति जांगीड निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. केशराराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर जिला चूरू
2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा राजलदेसर तहसील राजलदेसर जिला चूरू
4. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. उप पंजीयक महोदय बीदासर जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

1. छोटुदेवी पत्नि धनाराम जाति जांगीड निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. मुकेश पुत्र धनाराम जाति जांगीड निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. हरिओम पुत्र धनाराम जाति जांगीड निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 10-11-2025

उपरोक्त वाद पत्र में मुताबिक न्यायालय आदेश दिनांक 07.08.2025 के तहसीलदार बीदासर द्वारा रोही ग्राम कालेरा की ढाणी के खेत खसरा संख्या 2035/347, 345, 346, 348 तादादी कमशः 4.9827, 8.8019, 4.3124, 6.6014 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 24.6984 हेक्टेयर भूमि का प्रारम्भिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बीदासर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक वादगत भूमि में खसरा संख्या 2035/347 तादादी 4.9827 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 346 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 3.0597 हेक्टेयर, खसरा संख्या 348 तादादी 6.6014 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 4.3068 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12.3492 हेक्टेयर भूमि छोटूदेवी पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

धनाराम, महावीरप्रसाद, मुकेश, हरिओम पुत्रगण धनाराम जाति जांगिड निवासीगण बीदासर के ब.हि.ब. हिस्सा पांति कब्जा काश्त में तथा खसरा संख्या 345 तादादी 8.8019 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 346 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.2527 हेक्टेयर, खसरा संख्या 348 तादादी 6.6014 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 2.2946 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12.3492 हेक्टेयर भूमि केशराराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर के हिस्सा पांति कब्जा काश्त में बताई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने कोई आपति नहीं की है।

बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव को वकील वादी ने स्वीकार किया। वकील वादी ने वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वाद को अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः वादी के वाद को इस प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है कि रोही ग्राम कालेरा की ढाणी के खेत खसरा संख्या 2035/347 तादादी 4.9827 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 346 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 3.0597 हेक्टेयर, खसरा संख्या 348 तादादी 6.6014 हेक्टेयर में सें दक्षिणी साईड की 4.3068 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12.3492 हेक्टेयर भूमि छोटूदेवी पत्नि धनाराम, महावीरप्रसाद, मुकेश, हरिओम पुत्रगण धनाराम जाति जांगिड निवासी बीदासर के ब.हि.ब. अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 345 तादादी 8.8019 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 346 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 1.2527 हेक्टेयर, खसरा संख्या 348 तादादी 6.6014 हेक्टेयर में सें उतरी साईड की 2.2946 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12.3492 हेक्टेयर भूमि केशराराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। अंतिम डिकी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 10-11-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
महावीरप्रसाद बनाम केशराराम आदि
दावा बाबतः–विभाजन, चिर निषेधाज्ञा बाबत।

मु.नं.– 42/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते मुद्दई व पेशकार पक्ष मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व इस प्रकार अन्तिम डिकी की जाती है कि रोही ग्राम कालेरा की ढाणी के खेत खसरा संख्या 2035/347 तादादी 4.9827 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 346 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में से दक्षिणी साईड की 3.0597 हेक्टेयर, खसरा संख्या 348 तादादी 6.6014 हेक्टेयर में से दक्षिणी साईड की 4.3068 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12.3492 हेक्टेयर भूमि छोटूदेवी पत्नि धनाराम, महावीरप्रसाद, मुकेश, हरिओम पुत्रगण धनाराम जाति जांगिड निवासी बीदासर के ब.हि.ब. अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 345 तादादी 8.8019 हेक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा संख्या 346 तादादी 4.3124 हेक्टेयर में से उतरी साईड की 1.2527 हेक्टेयर, खसरा संख्या 348 तादादी 6.6014 हेक्टेयर में से उतरी साईड की 2.2946 हेक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 12.3492 हेक्टेयर भूमि केशराराम पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बीदासर के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। अंतिम डिकी की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें।

चीज.....—.....मुबलिग.....—.....बाबत.....—.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....—.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10-11-2025

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा बीदासर (चूरू)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			गुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)